दिल्ली राजपत्र भाग- II खंड- II में अदालतों के सूचनाओं की सामग्री प्रकाशित करने हेतु दिशानिर्देश

भारत के दिल्ली राजपत्र भाग- II खंड- II में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।

1. हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के मूल समाचार पत्र में मुद्रण हेतु मुद्रण सामग्री में शामिल होना अनिवार्य है।
2. कंप्यूटरीकृत मुद्रण सामग्री हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा (दो प्रतियों) में रबर स्टांप की मुहर के साथ सक्षम प्राधिकारी (न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी) द्वारा विधिवत सत्यापित ।
3. अंग्रेजी मुद्रण सामग्री का वर्ड फ़ॉन्ट आकार 10 में (विंडो 2007) प्रारूप के साथ एक सीडी तथा हिंदी मुद्रण सामग्री चाणक्य, विवेक और कृति देव का फ़ॉन्ट आकार 12 के साथ में होना चाहिए।
4. शीर्षपत्र/लेटर हेड पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जिसमे यह घोषणा किया जाना चाहिए कि हार्ड प्रति तथा सॉफ्ट प्रति में निहित मुद्रण सामाग्री/विषयवस्तु एक समान है।
5. सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए दस्तावेज़ों को उसमें उल्लिखित निर्णायक तिथि (सुनवाई की तारीख) से 30 दिन पहले इस विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा इसे विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र।

पूर्ण पृष्ठ (प्रति भाषा)	**रुपये 5,500/- दिनांक 31.03.2017 से लागू**
आधा पृष्ठ (प्रति भाषा)	**रुपये 4,000/- दिनांक 31.03.2017 से लागू**

7. विभाग में इस विषय पर सार्वजनिक निपटान समय प्रत्येक कार्य दिवस पूर्वाह्न 10:00 बजे से 1: 00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक रहेगा।
8. सभी प्रकार से सही ढंग से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात निवेदन को संबन्धित भारत सरकार के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा।
9. यह विभाग संबन्धित मुद्रणालय में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।
10. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।
11. मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार दिनांक 01/10/2018 से यह राशि एनटीआरपी (नान-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल यानि **www.bharatkosh.gov.in**) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

प्रकाशन नियंत्रक